

**उत्तराखण्ड सेवा का अधिकारी अधिनियम 2011**

पदाविहित अधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय :- डा0 विराज शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।

क. सं.	अधिसूचित सेवा	विभिन्न सेवाओं के लिये आवेदन के साथ सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाये प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं पता	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पता	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गई समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति)	1. सम्बन्धित व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य द्वारा सम्बन्ध सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नाम प्रार्थना-पत्र	7 दिन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली 0135-252187	30 दिन	जिला अधिकारी चमोली 0135-252102	60 दिन
2.	विकलांग प्रमाण-पत्र (साप्ताहिक)	1. नगर निकाय अथवा ग्राम सभा का पहचान पत्र 2. दो पासपोर्ट साईज का फोटो	3 दिन	जिला अधिकारी चमोली	30 दिन	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 0135-2608763	60 दिन

- पदाविहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम - श्री लक्ष्मण सिंह, वैयक्तिक सहायक
- प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा आवेदन निरस्त होने अथवा निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराये जाने के 30दिन के अन्दर
- प्रथम अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गयी समय सीमा 30 दिन
- द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा में अपील निस्तारित नहीं किये जाने के 30 दिन के अन्दर
- द्वितीय अपील के निस्तारण के लिये निश्चित की गयी समय सीमा 60 दिन

आज्ञा से -  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।

**उत्तराखण्ड सेवा का अधिकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचित सेवायें।**

क. सं.	सेवा	अधिकारी का नाम	सेवा देने की निर्धारित अवधि	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	<b>चिकित्सा प्रमाण-पत्र</b> अ. चिकित्सा अस्वस्थता प्रमाण-पत्र	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक	2 दिन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी 01372-252187	जिला अधिकारी 01372-252102
	ब. स्वस्थता प्रमाण-पत्र (जनपद स्तर)	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 01372-252145	2 दिन	"	मजिस्ट्रेट, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	स. राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा अस्वस्थता प्रमाण-पत्र (द्वितीय चिकित्सा परामर्श)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून/सचिव राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड 0135-2724506	15 दिन	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 0135-2608763
2.	जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	2 दिन (साधारण प्रसव)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मण्डलीय निदेशक 0368-222511
		चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	7 दिन (अन्य प्रसव)	"	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
3.	<b>मेडिगोलिग प्रमाण-पत्र</b> अ. पुलिस मेडिको लीगल प्रमाण-पत्र ब. प्राईवेट मेडिको लीगल प्रमाण-पत्र स. एक्सीडेंटल मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	2 दिन	सम्बन्धित चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक / सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
	द. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	7 दिन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	जिला अधिकारी
4.	<b>विकलांग प्रमाण-पत्र</b> (साप्ताहिक)	"	3 दिन	जिला अधिकारी	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5.	<b>ड्रग अनुभाग</b> अ. औषधि वितरण हेतु नया लाईसेंस जारी करना	औषधि लाईसेन्स अधिकारी	3 माह	ड्रग कन्ट्रोलर	"
	ब. औषधि वितरण हेतु नवीनीकृत लाईसेंस जारी करना	"	1 माह	"	"
	ब. औषधि उत्पादन हेतु नया लाईसेंस जारी करना	"	3 माह	"	"
	ब. औषधि उत्पादन हेतु नवीनीकृत लाईसेंस जारी करना	"	1 माह	"	"
6.	<b>खाद्य सुरक्षा</b> अ. खाद्य लाईसेन्स को जारी करना	खाद्य लाईसेन्स जारीकर्ता अधिकारी	2 माह	खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी	खाद्य सुरक्षा आयुक्त
	ब. पंजीकरण	पंजीकरण अधिकारी	1 माह	"	"



मुख्य चिकित्सा अधिकारी